International Journal of Humanities and Social Science Research
ISSN: 2455-2070; Impact Factor: RJIF 5.22
Received: 16-06-2019; Accepted: 19-07-2019
www.socialsciencejournal.in
Volume 5; Issue 5; September 2019; Page No. 82-84

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की राजनीति के प्रति जागरूकता

तरुणेश
समाजशास्त्र विभाग, ओम डिग्री कॉलेज, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश
भारत मुख्यतः गाँवों का देश है। प्राचीन काल से ही भारतीय ग्रामीण समुदाय की सामाजिक संरचना के तीन महत्वपूर्ण आधार जाति–प्रथा, संयुक्त परिवार और ग्रामीण पंचायत रहे हैं । स्व–शासन की इकाई के रूप में ग्रामीण पंचायतों का विशेष महत्व रहा है। बलवंतराय मेहता समिति (1958) की सिफारिशों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। यही माना जाता है कि देश का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना नहीं हो सकता है। लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था में पंचायती राज ही वह माध्यम है जो शासन को सामान्य जन के दरवाजे तक लाता है। लोकतन्त्र के उन्नयन में पंचायती राज की विशेष भूमिका रही है। महिलाओं के विकास के लिए तैयार किया दस्तावेज (1985) में स्वीकार किया गया है कि महिलाओं के द्वारा अनौपचारिक राजनैतिक गतिविधियों में तीव्र वृद्धि के बावजूद राजनैतिक ढाँचे में उनकी भूमिका वास्तव में अपरिवर्तित रही है। देश में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की एक–तिहाई भागीदारी होने और पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से (1992) में 73वाँ संवैधानिक अधिनियम पारित हुआ। राजनीति में महिलाओं की विस्तृत भागीदारी जाति, धर्म, जमींदारी तथा पारिवारिक स्थिति जैसे पारस्परिक कारणों की वजह से बहुत सीमित है। इस संविधान के अनुसार एक ग्राम सभा का गठन होना अनिवार्य है जिसमें महिलाओं की भागीदारी के साथ–साथ ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों की जिला परिषदों के अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं अर्थात् एक–तिहाई संस्थानों की अध्यक्ष भी महिलाएं ही होंगी। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की राजनीति के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप वे राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

मूल शब्द : ग्रामीण, सामाजिक संरचना, पंचायती राज व्यवस्था, संवैधानिक अधिनियम।

प्रस्तावना
पंचायती राज लोकतान्त्रिक व्यवस्था का आधार रहा है, लेकिन मूलतः विकेन्द्रीकरण पर आधारित शासन व्यवस्था होती है। शासन के उच्च स्तरों पर कोई भी लोकतन्त्र तब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक कि निचले स्तर पर लोकतान्त्रिक मान्यताएं एवं मूल्य सशक्त नहीं हो, लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था में पंचायती राज ही वह माध्यम है जो शासन को सामान्य जन के दरवाजे तक लाता है। लोकतन्त्र के उन्नयन में पंचायती राज की विशेष भूमिका रही है।

भारत मुख्यतः गाँवों का देश है। प्राचीन काल से ही भारतीय ग्रामीण समुदाय की सामाजिक संरचना के तीन महत्वपूर्ण आधार जाति–प्रथा, संयुक्त परिवार और ग्रामीण पंचायत रहे हैं । स्व–शासन की इकाई के रूप में ग्रामीण पंचायतों का विशेष महत्व रहा है। बलवंतराय मेहता समिति (1958) की सिफारिशों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। यही माना जाता है कि देश का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना नहीं हो सकता है। महिलाओं के विकास के लिए तैयार किया दस्तावेज (1985) में स्वीकार किया गया है कि महिलाओं के द्वारा अनौपचारिक राजनैतिक गतिविधियों में तीव्र वृद्धि के बावजूद राजनैतिक ढाँचे में उनकी भूमिका वास्तव में अपरिवर्तित रही है।

देश में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की एक–तिहाई भागीदारी होने और पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 1992 में 73वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित हुआ। राजनीति में महिलाओं की विस्तृत भागीदारी जाति, धर्म, जमींदारी तथा पारिवारिक स्थिति जैसे पारस्परिक कारणों की वजह से बहुत सीमित है। इस संविधान के अनुसार एक ग्रामसभा का गठन होना अनिवार्य है जिसमे महिलाओं की भागीदारी के साथ–साथ ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों की जिला परिषदों के अध्यक्षों के पदों पर संख्या के कम से कम एक–तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। अर्थात् एक–तिहाई संस्थाओं की अध्यक्ष भी महिलाएँ होंगी। इस व्यवस्था का असर यह हुआ कि देश भर में लाखों महिलाएँ पंचायतों का काम करने के लिए मैदान में आ गई हैं।

कुशवाहा (1994) ने ग्रामीण महिलाओं के लिए राज्य की विकास नीति विषय पर अध्ययन किया। राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं के लिए आरक्षण केवल गाँव और जिले के स्तर तक ही सीमित रखना चाहिए। जमीन से जुड़ी राजनीति में महिलाओं की ईमानदारी एवं सच्ची छवि होगी। इस जमीन का आधार उनके द्वारा की गई जनसेवा होगी, आरक्षण से मिला वरदान नहीं। शिक्षित महत्वाकांक्षी महिलाएँ राजनीति के बहाने सत्ता में हिस्सेदारी के लिए कुलबुला रही हैं। महिला संगठनों में बैठी ये महिलाएँ परिष्कृत अंग्रेजों की राजनीति में भागीदारी अर्थात आरक्षण की मांग अक्सर दुहराती रहती है। सत्ता की आकांक्षा रखना या राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी होना कोई पाप नहीं है। आपत्तिजनक केवल यह है कि इस वर्ग की महिलाएँ भारतीय राजनीतिक की ऊबड़–खाबड़ जमीन से अपने पैरों को बचाती सांसद या विधानसभा तक घुसपैठियों की शैली से पहुँचना चाहती हैं।

कुकरेजा (1994) ने ''पंचायती राज : महिलाओं को राजनीतिक शक्ति'' विषय पर अध्ययन किया तथा उन्होंने 1998 में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने की आवश्यकता का वर्णन किया।

शर्मा (2000) ने ''पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास'' विषय पर अध्ययन किया। महिलाओं में जागरुकता पैदा करने के अलावा उन्हें पंचायत राज व्यवस्था के विषय में शिक्षा देना भी जरूरी है। महिलाओं को विभिन्न विकास कार्यक्रम की नीतियों तथा बच्चों से सम्बन्धित विषयों से अवगत कराया जाए। महिला तथा बाल विकास विभाग ने आर्थिक सहायता के रूप में दस हजार रुपये प्रत्येक स्वयंसेवी संस्था को देने का प्रावधान रखा है, जो महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्यासियों को शिक्षित करने के कार्य में जागरूक हो रहे हैं।

सिंह एवं मौर्या (2015) ने पंचायती राज संस्थाओं में महिला सहभागिता एवं जागरूकता अध्ययन में बताया कि राजनैक्तिक क्षेत्र में महिलाओं की वास्तविक अर्थों में भागीदारी तभी सम्भव है जबकि उन्हें शिक्षित बनाया जाए और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरुषों को अपनी मानसिकता में बदलाव लाकर अपने इस भ्रम को दूर करना चाहिए कि महिलाओं के राजनीति में प्रवेश से उनके कार्यक्षेत्र बढ़ने की संभावना है। उन्हें यह भी

ध्यान में रखना होगा कि जब महिला घर में कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष के साथ परिवार चलाती है और जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी वह सफलता की बुलंदियाँ छू रही है तो फिर कोई कारण नहीं कि वह राजनीति में आकर अपना परचम न लहरायें। इसमें दो राय नहीं कि राजनीति में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से निश्चित तौर पर शुचिता आयेगी और अनुशासित व्यवहार को भी बढ़ावा मिलेगा।

तरुणेश (2016) ने ''पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका : एक अध्ययन'' का वर्णन किया जिसमें उन्होंने बताया कि पंचायती राज अभियान शुरू करने का उद्देश्य आम लोगों को जागरूक बनाना है तथा निचले स्तर पर विकास सम्बंधी गतिविधियों में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना है।

महिलाएँ अभी भी राजनीति, शिक्षा तथा जागरूकता दोनों ही क्षेत्रों में बहुत ही पीछे हैं। गावों में स्कूल के साथ–साथ अभी भी जन–चेतना जागृत करने के केन्द्रों का अभाव है। गाँववासियों के लिए मनोरंजन के माध्यम नहीं हैं। बच्चों के खेलने के लिए पार्क नहीं हैं, पुस्तकालय तथा वाचनालयों का तो बहुत अभाव है। ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार विकल्प नहीं हैं। अन्त में उन्हें खेत–खलिहानों में ही काम करना पड़ता है या फिर जानवरों के लिए चारा आदि का प्रबन्ध करने तथा उन्हें नहलाने आदि में अपने आपको व्यस्त रखती हैं। उनकी दिनचर्या में कुछ भी नया नहीं होता। लगभग यही स्थिति पुरुषों की भी है।

आज उक्त सभी शंकाएँ धीरे–धीरे कम होती जा रही है तथा उनमें राजनीतिक जागरूकता आ रही है और वे अब अपने उत्तरदायित्वों तथा कर्तव्यों के सन्दर्भ में भी जागरूक हो रही हैं। यह अध्ययन पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की राजनीति के प्रति जागरूकता के स्तर को जानने का एक प्रयास है।

शोध प्रारूप

प्रस्तुत अध्ययन उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद के शिकोहाबाद, हाथवन्त तथा नारखी ब्लॉक की उन महिलाओं से सम्बन्धित है जो राजनीति के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रही हैं। शिकोहाबाद ब्लॉक में कुल 78 ग्राम पंचायतें, हाथवन्त ब्लॉक में कुल 73 ग्राम पंचायतें तथा नारखी ब्लॉक में कुल 63 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें क्रमशः 25, 23 तथा 21 महिलाएँ प्रधान के रूप में कार्यरत हैं। इन तीनों ब्लॉकों में से 50 महिलाओं का चुनाव करके साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से उनसे सूचनाओं का संकलन किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. पंचायती राज व्यवस्था में उत्तरदाता महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. पंचायती राज व्यवस्था में उत्तरदाता महिलाओं की राजनीति जागरूकता का अध्ययन करना।

उपकल्पना

1. पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया गया।
2. पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं की राजनीति जागरूकता का अध्ययन किया।

उपलब्धियाँ

पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत महिलाओं की राजनीति के प्रति जागरूकता जानने के लिए सूचनादाताओं से निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे गये। सर्वप्रथम पूछा गया कि गाँव के विकास में महिला सदस्यों की जागरूकता किस प्रकार की गई है ?

सारणी 1: राजनैतिक महिला उत्तरदाताओं की आयु का विवरण

आयु	संख्या	प्रतिशत
18 – 30	22	44
31 – 45	15	30
46 – 60	10	20
61 से अधिक	03	06
योग	50	100

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 44 प्रतिशत महिलाएँ 18–30 वर्ष की आयु से सम्बन्धित हैं, जो युवा महिला वर्ग को प्रदर्षित करती हैं। 30 प्रतिशत महिलाएँ 31–45 वर्ष आयु वर्ग से सम्बन्धित हैं, 20 प्रतिशत महिलाएँ 46–60 वर्ष की आयु वर्ग से सम्बन्धित हैं तथा सबसे कम 06 प्रतिशत महिलाएँ 61 से अधिक आयु वर्ग को प्रदर्शित करती हैं, जो वृद्धावस्था की श्रेणी में हैं।

सारणी 2: पंचायती राज व्यवस्था में महिला उत्तरदाताओं की जाति का विवरण

महिला उत्तरदाताओं की जाति	संख्या	प्रतिशत
सामान्य जाति	15	30
अनुसूचित जाति	10	20
पिछड़ी जाति	25	50
योग	50	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वाधिक महिलाएं 50 प्रतिशत महिलाएँ पिछड़ी जाति की हैं, 30 प्रतिशत महिलाएँ सामान्य वर्ग की हैं। सबसे कम 20 प्रतिशत महिलाएँ अनुसूचित जाति की हैं।

सारणी 3: महिला उतरदाताओं की शिक्षा का विवरण

शिक्षा का विवरण	संख्या	प्रतिशत
निरक्षर	02	04
हाईस्कूल	26	52
इण्टरमीडिएट	14	28
स्नातक	05	10
परास्नातक	03	06
योग	50	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 52 प्रतिशत हाईस्कूल पास करने वाली महिलाएँ हैं, 28 प्रतिशत महिलाएँ इण्टरमीडिएट हैं, 10 प्रतिशत महिलाएँ स्नातक हैं, 6 प्रतिशत महिलाएँ परास्नातक तथा सबसे कम 4 प्रतिशत महिलाएँ निरक्षर हैं जो आज भी अगूँठा छाप हैं।

सारणी 4: महिला उत्तरदाताओं की आय के स्रोत का विवरण

व्यवसाय	संख्या	प्रतिशत
कृषि	32	64
प्राइवेट नौकरी	10	20
अन्य व्यवसाय	08	16
योग	50	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 64 प्रतिशत महिलाएँ कृषि कार्य से सम्बन्धित हैं। 20 प्रतिशत महिलाएँ प्राईवेट नौकरी से से सम्बन्धित हैं तथा सबसे कम 16 प्रतिशत महिलाएँ अन्य व्यवसाय में कार्यरत हैं जो अपने परिवार को सुचारु रूप से चला रही हैं।

सारणी 5: पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण महिलाओं की राजनीति के प्रति जागरूकता

क्रमांक	सूचनादाताओं के विचारों के विवरण	ग्रामीण महिलाओं के विभिन्न वर्गों की आवृत्ति						कुल	
		सामान्य वर्ग	प्रतिशत	पिछड़ा वर्ग	प्रतिशत	अनुसूचित जाति वर्ग	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1.	हाँ	15	60	10	66.67	5	50	30	60
2.	नहीं	6	24	3	20.00	4	40	13	26
3.	उदासीन	4	16	2	13.33	1	10	7	14
	योग	25	100	15	100	10	100	50	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि सामान्य वर्ग की ग्रामीण महिलाओं में से सर्वाधिक 60 प्रतिशत महिलाएँ राजनीति के प्रति जागरूक हैं और इसी वर्ग की 24 प्रतिशत महिलाओं में राजनीति के प्रति जागरूकता का अभाव पाया गया है। साथ ही 16 प्रतिशत महिलाएँ राजनीति के प्रति उदासीन हैं। पिछड़ा वर्ग की ग्रामीण महिलाओं में से 66.67 प्रतिशत महिलाएँ राजनीति के प्रति जागरूक हैं जबकि 20.00 प्रतिशत महिलाओं में राजनैतिक जागरूकता का अभाव पाया जाता है। साथ ही 13.33 प्रतिशत महिलाएँ राजनीति के प्रति उदासीन भी हैं। अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं में से 50 प्रतिशत महिलाएँ ही राजनीति के प्रति जागरूक हैं, जबकि 4.00 प्रतिशत महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का अभाव पाया जाता है। साथ ही 10 प्रतिशत महिलाएँ राजनीतिक जागरूकता के प्रति उदासीन हैं।

हर्ष की बात है कि तीनों वर्ग की कुल ग्रामीण महिलाओं में से 60 प्रतिशत महिलाएँ राजनीति के प्रति जागरूक हैं जबकि 26 प्रतिशत महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का अभाव पाया जाता है। साथ ही 14 प्रतिशत महिलाएँ राजनीति के प्रति उदासीन हैं।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन में पाया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं में 44 प्रतिशत राजनीतिक महिला उत्तरदाता 18–30 वर्ष की आयु से सम्बन्धित हैं। 50 प्रतिशत महिलाएँ पिछड़ी जाति की हैं। 52 प्रतिशत हाईस्कूल पास करने वाली महिलाएँ हैं। 64 प्रतिशत महिलाएँ कृषि कार्य से सम्बन्धित हैं। 60 प्रतिशत महिलाओं का आरक्षण के द्वारा राजनैतिक जागरूकता का स्तर बढ़ा है। इससे स्पष्ट होता है कि ग्रामीण महिलाएँ अभी भी जागरूक कम हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की राजनीति के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप वे राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

सुझाव

- पंचायती राज व्यवस्था में अधिकारों के प्रति महिलाओं में जागरूकता बढ़ी है।
- पंचायती ग्राम सभाओं में कई तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा, सांस्कृतिक क्रिया–कलाप, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि की भी व्यवस्था की गई है।
- महिलाओं में अनेक कड़वे–मीठे अनुभवों से गुजरना पड़ा है और आज भी अनेक सामाजिक समस्याएँ इनके रास्ते में रुकावटें बनी हुई हैं।
- पंचायती राज व्यवस्था में महिलाएँ राजनीति में खुलकर विकास कर रही हैं। महिला आरक्षण के द्वारा कुछ हद तक महिलाओं में राजनैतिक जागरूकता में वृद्धि हुई है। महिलाओं की राजनैतिक जागरूकता में वृद्धि होने से पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई।

सन्दर्भ

1. कुकरेजा, सुन्दरलाल : ''पंचायती राज महिलाओं की राजनीतिक शक्ति'' कुरुक्षेत्र, जुलाई 1994, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. कुकरेजा, सुन्दरलाल : ''पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने की आवश्यकता, कुरुक्षेत्र, अप्रैल 1998, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. कुशवाहा, अलका : ''ग्रामीण महिलाओं के लिए राज्य की विकास नीति'', कुरुक्षेत्र, सितम्बर 1994, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. शर्मा, श्रीनाथ एवं सिंह मनोज कुमार : ''पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास'' 2000, आदित्य पब्लिशर्स, बीना (म0प्र0)।
5. सिंह, उदयभान एवं मौर्या, लवली : ''पंचायती संस्थाओं में महिला सहभागिता एवं जागरूकता'' राधाकमल मुकर्जी :चिन्तन परम्परा, वर्ष–17, अंक–2, जुलाई–दिसम्बर 2015, पृ0 46–49.
6. तरुणेश : ''पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिकाः एक अध्ययन'', राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा, वर्ष–18, अंक–2, जुलाई–दिसम्बर 2016, पृ0 126–129.